

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्राप्ति संख्या 07/आवाहन/विभ./१८/ १७८

दिनांक - १०.३.१६

आदेश

गवर्नर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था द्वारा नवीन महाविद्यालय प्राप्ति करने हेतु आवेदित राजनीति विधि संहिता ज्ञात २०१६-१७, २०१७-१८ एवं २०१८-१९ तीन वर्ष के लिए इस्थाई अनावर्ती प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूपों में साथ प्रदान किया जाता है।

संस्थाका नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवेदित विधि / संकाय
इण्डियन एज्यूकेशन सोसायटी, गोविन्दगढ़, जयपुर।	आईडियल महाविद्यालय, वार्ड नं. ८, गोविन्दगढ़, चौमुख, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- बी.ए- हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिकान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, इतिहास, भूगोल, संस्कृत। बी.एस.सी- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि शास्त्र, वनस्पति विज्ञान।

- संस्था सत्र २०१९-२० में निर्वाचित अवधि में नियमानुसार अनावर्ती प्रमाण पत्र अभियुक्ति हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकाशन में बीएसीओआई से मन्त्रता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संक्षय/विषयवाच सैंटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज विज्ञा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संस्था सौंपा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनावर्ती प्रमाण पत्र प्राप्ति प्राप्ति तीन सत्रों में वापरणानुसार रखये की भूमि पर नहाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तथ नानदद्वारा नुसार) का विमेंश पूर्ण करना होगा।
- संभवित संस्था द्वारा भूमि कालान्तरण अवश्यक करवाया जायेगा इसके अन्वय में अनावर्ती प्रमाण पत्र निरस्ता भी किया जा सकता है।
- मठविद्यालय भवन का विमेंश संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/मण्डल नियोजन विज्ञा द्वारा रक्षीकृत मानविकों के अनुकूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूरोपीय योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशोकिक स्टाफ ली नियुक्ति की जाएगी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुग्रहेन वा दायित्व संस्था द्वा रहेगा।
- अवश्यकतानुसार निवेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा जाहा गया अपिलेक्य उपताच करायेगा।
- संस्था द्वारा तथाई जगा के जन में जगा करायी गई सूखा राशि को प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था संस्थिकी पुस्तिका एवं विषयांकिता प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्वाचित समवायविधि में जगा करायेगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था एनएसएस/एनएसएसी/रोवरिंग एवं रेजिस्ट्रिंग (स्काउट/गाइड्स) में से किसी भी एक नानदीकारी वित्तियों की भाग विज्ञाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एनएसएसी, कॉलेज विज्ञा को संबोधित अधिकारी का नाम एवं गोपालकृष्ण नगर संघित अवश्यक लप से जगनी होगी।
- राज्य सरकार को महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति २०१६-१७ तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की सूचना देगी।
- भाग्य संसाधन विकास नकाली भारत सरकार के देवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करायकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करता आनियाये होगा। सल्यान्वात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के अधार पर भाग्य संसाधन विकास नकाली द्वारा योग्यता विकासार्थी Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी आमान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों को वाला नहीं करने पर अस्थाई अनावर्ती प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्तालय,
कॉलेज विज्ञा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को चूसनार्थ एवं अतिरिक्त कारबोही हेतु प्रयोग है -

- टिकिट नमित, नाम उच्च विज्ञा नवीन महाविद्या, राजस्थान, जयपुर।
- नियोजित अधिकारी सुख्ख विषय, उच्च विज्ञा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- विज्ञा विवेदिक, जयपुर।
- दूसरे अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय, जयपुर।
- राज्यविद्यालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- राज्यविद्यालय विभाग, जयपुर।
- राज्यविद्यालय विभाग, जयपुर।

विनायक
मान्यता-दाता (नियोजन)